

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 10

दिनांक- 13.01.2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या- 590/Admin. (E-I) Section/ XC-04/ Dated: Allahabad: 13.01.2025 द्वारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट - 1881, के अधीन दिनांक 14.01.2025 को मकर संक्रांति के पर्व पर प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायालय कासगंज में दिनांक 14.01.2025 को मकर संक्रांति के पर्व पर पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

घोषित किये गये अवकाश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित किया जाये।
समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

(रामेश्वर)

जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।

13-01-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कासगंज।
- 2- पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण, कासगंज।
- 3- अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, जनपद कासगंज।
- 4- जिलाधिकारी, कासगंज।
- 5- पुलिस अधीक्षक, कासगंज।
- 6- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 7- अधीक्षक, जिला कारागार कासगंज।
- 8- मुख्य चिकित्साधिकारी, कासगंज।
- 9- जिला अभियोजन अधिकारी, कासगंज।
- 10- समस्त बार एसोसियेशन, कासगंज को सूचनार्थ।
- 11- केन्द्रीय नाजिर को जनपद न्यायालय कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 12- सिस्टम आफिसर आदेश की सूचना जनपद न्यायालय कासगंज की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 13- गार्ड फाइल।

सत्य प्रतिलिपि

प्रशासनिक लिपि
जनपद न्यायालय, कासगंज